कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 4059/NH-91—कानपुर/26890/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 15, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषय : कानपुर में एन0एच0—91 किमी0 356 से 414 तक (मित्रसेनपुर से कानपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 93.975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4800 वृक्षों व 17 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यूपी/06/24/2018/एफसी/199, दिनांक 23.03.2018,
उ0प्र0 शासन का पत्रांक—भा0स0—47/14—2—2018—800(34)/2018, दि0 26.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त सूचनायें व अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर के पत्रांक—5447/14—1, दिनांक 15.05.2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। अतः उक्त पत्र व संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकःप्रस्ताव की दो प्रतियॉ।

भवदीय,

15/5

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2— प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, कानपुर।
3— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।